

## राइट टू बी फॉरगॉटन

### प्रलिस के लयि:

अनुच्छेद 21, सामान्य डेटा संरक्षण वनियमन

### मेन्स के लयि:

राइट टू बी फॉरगॉटन से संबध वभिनिन पहलू

## चरचा में क्यौं?

हाल ही में एक रयिलटी शो के प्रतयौगी ने दलिली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है जसिमें उसके "राइट टू बी फॉरगॉटन (RTBF)" का हवाला देते हुए अपने वीडियो, फोटो और लेख आदिको इंटरनेट से हटाने की मांग की गई है।

- याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका में यह भी कहा गया कि "राइट टू बी फॉरगॉटन" "नजिता के अधिकार" के अनुरूप है, जो कसिंवधान के अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) का एक अभनिन अंग है।

## प्रमुख बडि

### परचिय:

- राइट टू बी फॉरगॉटन (RTBF):** यह इंटरनेट, सर्च, डेटाबेस, वेबसाइटों या कसिी अन्य सार्वजनिक प्लेटफॉर्म से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध व्यक्तिगत जानकारी को उस स्थिति में हटाने का अधिकार है जब यह व्यक्तिगत जानकारी आवश्यक या प्रासंगिक नहीं रह जाती है।
- उत्पत्ति:** गूगल स्पेन मामले में यूरोपीय संघ के न्यायालय ("CJEU") के वर्ष 2014 के नरिणय के बाद RTBF प्रचलन में आया।
  - RTBF को सामान्य डेटा संरक्षण वनियमन (General Data Protection Regulation- GDPR) के तहत यूरोपीय संघ में एक वैधानिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है।
  - यूनाइटेड किंगडम और यूरोप में कई न्यायालयों द्वारा इसे बरकरार रखा गया है।
- भारत में स्थिति:** भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो विशेष रूप से भूल जाने के अधिकार का प्रावधान करता हो। हालाँकि नजि डेटा संरक्षण वधियक (Personal Data Protection Bill) 2019 इस अधिकार को मान्यता देता है।
  - सुचना प्रौद्योगिकी अधनियम (Information Technology Act), 2000** कंप्यूटर ससि्टम से डेटा के संबध में कुछ उल्लंघनों के खलिफ सुरक्षा प्रदान करता है।
    - इसमें कंप्यूटर, कंप्यूटर ससि्टम और उसमें संग्रहीत डेटा के अनधिकृत उपयोग को रोकने के प्रावधान हैं।

## व्यक्तिगत डेटा संरक्षण वधियक और RTBF:

- दसिंबर, 2019 में व्यक्तिगत डेटा संरक्षण वधियक लोकसभा में पेश कयिा गया था। इसका उद्देश्य व्यक्तियों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लयि प्रावधान करना है।
- "डेटा प्रसिपिल के अधिकार" शीर्षक वाले इस मसौदा वधियक के अध्याय V के खंड 20 में 'राइट टू बी फॉरगॉटन' का उल्लेख है।
  - इसमें कहा गया है कि "डेटा प्रसिपिल (जसि व्यक्ति से डेटा संबधति है) को 'डेटा फडियूशरी' द्वारा अपने व्यक्तिगत डेटा के नरितर प्रकटीकरण को प्रतबिंधति करने या रोकने का अधिकार होगा।"
  - इसलयि मोटे तौर पर 'राइट टू बी फॉरगॉटन' के तहत उपयोगकर्ता डेटा न्यासियों द्वारा रखी गई अपनी व्यक्तिगत जानकारी के प्रकटीकरण को डी-लिक कर सकते हैं, सीमति कर सकते हैं, हटा सकते हैं या सही कर सकते हैं।
    - डेटा फडियूशरी का अर्थ है कोई भी व्यक्ति, जसिमें राज्य, कंपनी, कोई कानूनी संस्था या कोई भी व्यक्ति शामिल है, जो अकेले या दूसरों के साथ मलिकर व्यक्तिगत डेटा प्रसंसकरण के उद्देश्य और साधनों को नरिधारति करता है।
  - डेटा सुरक्षा प्राधकिरण (DPA):** यद्यपि व्यक्तिगत डेटा और जानकारी की संवेदनशीलता को संबधति व्यक्ति द्वारा स्वतंत्र रूप से

नरिधारति नही कयिा जा सकतल है, लेकनि डेटल सुरकषल प्रलधकिरण (DPA) दवलरल इसकी नगिरलनी की जलएगी ।

- इसकल मतलब यह है कडिरलफ़्ट बलि कूछ प्रलवधलन करतल है जसिके तहत एक डेटल प्रसिपिल अपने डेटल को हटलने की मलंग कर सकतल है, उसके अधकिरल DPA के लयि कलम करने वलले एडजुडकिटिंग ऑफसिर दवलरल प्रलधकिरण के अधीन है ।
- डेटल प्रसिपिल के अनुरोध कल आकलन करते समय इस अधकिरी को वयकतगित डेटल की संवेदनशीलतल, प्रकटीकरण के पैमलने, प्रतबिंधति होने की मलंग की डगिरी, सलरवजनकि जीवन में डेटल प्रसिपिल की भूमकिल और कूछ अन्य के बीच प्रकटीकरण की प्रकृतल की जलँच करने की आवश्यकतल होगी ।

**नजितल कल अधकिरल और 'रलइट टू बी फॉरगॉटन':**

- 'रलइट टू बी फॉरगॉटन' कसिी वयकतल के नजितल के अधकिरल के दलयेरे में आतल है, जसिे प्रलय: वयकतगित डेटल संरकषण वधियक, 2019 दवलरल वनियिमति कयिा जलतल है ।
- वरष 2017 में सर्वोच्च न्यलललय ने ऐतलहलसकि पुट्टसवलमी मलमले में अपने नरिमलण में 'नजितल के अधकिरल' को मौलकि अधकिरल घोषति कयिा थल ।
  - न्यललय ने अपने नरिमलण में स्पष्ट कयिा थल कडि 'नजितल कल अधकिरल अनुच्छेद-21 के तहतजीवन और वयकतगित स्वतंत्रतल के अधकिरल के आंतरकि हसिसे के रूप में और संवधिलन के भलग-III दवलरल गलरंटीकृत स्वतंत्रतल के एक हसिसे के रूप में संरकषति है ।'

**चुनौतयिँ**

- **सलरवजनकि रकिरंड के सलथ टकरलव:** 'रलइट टू बी फॉरगॉटन' अथवल भूल जलने कल अधकिरल सलरवजनकि रकिरंड से जुड़े मलमलों के वरुिद्ध हो सकतल है ।
  - उदलहरण के लयि न्यललयलों के नरिणयों को हमेशल सलरवजनकि रकिरंड के रूप में मलनल जलतल है और भरततीय सलकष्य अधनियिम, 1872 की धलरल-74 के अनुसलर इन्हें सलरवजनकि दसतलवेज की प्रभिलषल के अंतरगत शलमलि कयिा जलतल है ।
  - आधकिरलकि सलरवजनकि रकिरंड, वशेष रूप से न्यलयकि रकिरंड को 'रलइट टू बी फॉरगॉटन' के दलयेरे में शलमलि नही कयिा जल सकतल है क्योकडि यह दीरघकलल में न्यलयकि प्रणलली में आम जनतल के वशिवलस को कमजोर करेगल ।
- **वयकतलबनलम सलमलज:** 'रलइट टू बी फॉरगॉटन' वयकतयिँ की नजितल के अधकिरल और सलमलज के सूचना के अधकिरल तथल प्रेस की स्वतंत्रतल के बीच दुवधल पैदल करतल है ।

**आगे की रलह**

- गलपनीयतल के अधकिरल और वयकतगित डेटल की सुरकषल (अनुच्छेद-21) तथल इंटरनेट उपयलगकरततलओं की सूचना की स्वतंत्रतल (अनुच्छेद-19) के बीच संतुलन सथलपति कयिा जलनल आवश्यक है ।
- डेटल संरकषण कलनून के मलधयम से इन मुददों को संबोधति कयिा जलनल आवश्यक है और दो मौलकि अधकिरलों के बीच संघरष को कम कयिा जलनल चलहयि जो भरततीय संवधिलन के **सवरण त्रमिरति (अनुच्छेद-14, 19 और 21)** कल महत्त्वपूर्ण हसिसल है ।

**सुरलत: इंडयिन एक्सप्रेस**